जैकब मैथ्यू बनाम केरल राज्य

ए.आई.आर.1964 केर.39

तथ्य

केरल सरकार ने 1957 में एक आदेश पारित किया,जिसमें व्यावसायिक कालेजों में दाखिले के लिये पिछड़े वर्गों के लिये स्थानों का आरक्षण किया गया था। आरक्षण की मात्रा पिछड़े वर्गों के लिये 35 प्रतिशत थी और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत थी। पिछड़े वर्गों को फिर निम्नलिखित समूहों में उपविभाजित किया गया था:-

(1)	एहवाज	13%
(2)	मुसलमान	9%
(3)	लेटिन कैथोलिक	3%
(4)	पिछड़े वर्ग के ईसाई	1%
(5)	अन्य हिन्दू	9%
	कुल जोड़	35%

केरल सरकार के आदेश पर आक्षेप किया गया। तत्कालीन न्यायमूर्ति वै.लिंगम (एकल न्याय पीठ) ने यह निर्णय दिया कि राज्य सरकार ने स्वयं जिस सामग्री का हवाला दिया है, उससे यह स्पष्ट है कि सरकार ने इस बात का वैध रूप से अवतरण नहीं किया कि किस पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाये । कुल मिलाकर एहवाज और मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने का आधार मुख्य रूप से जाति और धर्म की परख पर आधारित है और उनकी आर्थिक स्थिति के संबंध में कोई जांच-पड़ताल नहीं की गयी है। परिणामत: पिछड़े वर्गो का वर्गीकरण अनुच्छेद 15(4) के अधीन अवैध है। आरक्षण की 35% मात्रा और इस 35% का उप-विभाजन भी वैध नहीं है।

ii. केरल राज्य बनाम आर. जैकब के मामले में खण्ड न्यायपीठ को अपील करने पर

ए.आई.आर. 1964 केर. 316 उच्च न्यायालय (मुख्य न्यायमूर्ति एम.एस. मेनन तथा न्यायमूर्ति माधयन नायर) ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

उद्धरण

1963 के ओ.पी. सं. 1266 में प्रथम तथा द्वितीय प्रत्यर्थी हमारे समक्ष प्रार्थी हैं। वे हैं-केरल राज्य, जिनका प्रतिनिधित्व सरकार के मुख्य सचिव ने किया है और मेडिकल कालेज त्रिवेंद्रम

के प्रिंसिपल ।

यह विवाद प्रदर्श आर.1 से संबंधित है, जो राज्य के मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिये उम्मीदवारों के चयन से संबंधित सरकार का एक आदेश है। यह आदेश 7 जून 1963 का है, और यह इस विषय पर जारी किये गये पूर्व आदेशों का अनुवर्ती आदेश है।

प्रदर्श आर.1 में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिये 13 प्रतिशत स्थान एहवाज के लिये 9 प्रतिशत मुसलमानों के लिये और तीन प्रतिशत स्थान एंग्लो इंडियनों को मिलाकर के लेटिन केथोलिक्स के लिये आरक्षित रखे गये हैं। पहला विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इन आरक्षणों को संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 29 को ध्यान में रखते हुए बनाए रखा जा सकता है।

इस मामले में हमारा संबंध किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नहीं हैं और संविधान के अनुच्छेद 15(4) की दृष्टि से केवल विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या एहवाज मुसलमानों और एंगलो इंडियनों को शामिल करके लैटिन कैथोलिकों को ''सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक '' समझा जा सकता है। एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य ए.आई.आर. 1963 एस.स.649 के मामले में उच्चतम न्यायालय का कथन था:

''अनुच्छेद 15(4) के अधीन पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षिक हीं होना चाहिए। यह पिछड़ापन केवल सामाजिक या केवल शैक्षिक नहीं हैं, बल्कि यह पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षिक दोनों रूप में हैं।''

मानव जीवन और मूल्यों के इन क्षेत्रों में कार्य और कारण के ये सुस्पष्ट अंतर एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। सामाजिक पिछड़ापन शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण होता है, जबकि शैक्षिक पिछड़ापन से सामाजिक पिछड़ेपन को बढ़ावा मिलता है, और प्रायः दोनों ही निर्धनता की पराकाष्ठा और रूढ़ि तथा परंपरा के शामक प्रभाव के अपरिहार्य परिणाम हैं। राज्य की ओर से प्रस्तुत किये गये तारीख 10 अगस्त, 1953 के शपथ पत्र में और तीसरे प्रत्यर्थी के अभिभावक के तारीख 14 अगस्त,1963 के शपथ पत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरो को देखते हुए हमें यह निर्णय देने में कोई संकोच नहीं हैं कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अर्थ के अंतर्गत एहवाज, मुसलमान और लैटिन कैथोलिक,जिनमें ऐंग्लो इंडियन भी शामिल है, ''सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं।

वस्तुतः मुसलमानों और लैटिन कैथोलिकों, जिनमें एंगलो इंडियन भी शामिल हैं, के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के बारे में कोई गंभीर विवाद नहीं था और हमारा यह सोचना सही है। आक्षेप तो अनिवार्यतः एहवाज समुदाय के पक्ष में किये जाने वाले स्थानों के आरक्षण पर था।

राज्य की आबादी के लगभग पचीस प्रतिशत लोग एहवाज हैं, और हमारे सामने जो सामग्री है, उसके आधार पर यह कहना संभव नही है, सरकार का यह अनुमान गलत है कि एहवाज एक ऐसा समुदाय है, जो ''सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है''। श्री एल.के. अनन्त कृष्ण अय्यर द्वारा लिखित कोचीन ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स, श्री सी.अच्युत मेनन द्वारा लिखित कोचीन स्टेट मेनुअल, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, केरल सरकार द्वारा गठित मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट और अन्य प्रकाशनों की संगत प्रविष्टियों के अवलोकन से, जिनकी ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है, यह पता चलता है कि इन तीनों समुदायों को, जिनके पक्ष में आरक्षण किया गया है, सामाजिक और शैक्षिक दोनों प्रकार से पिछड़ा हुआ समझा जाये।''

हमारे सामने यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि ''1112 एम.ई. की ट्रावनकोर मंदिर प्रवेश उद्घोषणा'' 1123 एम.ई. की कोचीन मंदिर प्रवेश उद्घोषणा, "1947 का मद्रास मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम'' और ''भारत के संविधान के अनुच्छेद 17'' से, जिसमें यह कहा गया है कि:

''अस्पृश्यता'' समाप्त की जाती है और इसको व्यवहार में लाना निषिध है। ''अस्पृश्यता'' के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली कोई निर्योग्यता एक अपराध मानी जायेगी जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगी। एबवाज का प्राचीन स्वरूप परिवर्तित हो गया है, और यह कि उन्हें अब सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ न माना जाये। यह सच है कि कुछ अवसरों पर और कुछ देशों में, समाज ने विधि का पथ-प्रदर्शन किया है। किंतु भारत में स्थिति इसके विपरीत हीं रही है। ''सम आस्पेक्ट ऑफ इंडियन ला टुडे'' की अपनी भूमिका में श्री एम.सी. चागला का कथन है:-

यह सच है कि कुछ अवसरों पर समाज ने विधि का पथ-प्रदर्शन किया है, किन्तु जहां तक भारत का संबंध है, यहां तो स्थिति इसके विपरीत हीं रही है। यहां तो विधि ने समाज का पथ प्रदर्शन किया है, और विधि ने समाज के सामने ऐसे आदर्श और मूल्य रखे है, जिनका लोगों को अनुपालन करना चाहिए। ''ऐसे मामलों में सामाजिक आदर्शों और मूल्यों का पालन उसी समय नहीं किया जाता जब सांविधिक अधिनियमों वा संवैधानिक प्रलेखों की उद्घोषणा की जाती है। समय को अपनी भूमिका अदा करनी होती है, और केवल समय हीं विधि के आदर्शों को प्रतिदिन के जीवन की

वास्तविकताओं में संचारित करता है। यह कोई नहीं कह सकता कि प्रगतिशील उपायों को लागू करना उन्नति की प्रक्रिया का अंत है, आरंभ नहीं। विचारधारा को बदलना बड़ा मुश्किल होता है और ऐसा करने में काफी समय लगता है और ताड़ी बेचने जैसे व्यवसायों के साथ उनका सामाजिक कलंक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक साथ चलता रहता है और दशाब्दियों तक उनके आचरण और व्यवहार को अपनी लपेट में लेता चलता है।

हमें आर. चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य, सिविल अपील, 1963 की सं. 1056 और 1057 (ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 1823) के मामले में उच्चतम न्यायालय के बहुमत निर्णय की टंकित प्रति प्रस्तुत की गयी है। हमने निर्णय की अंतिम रूपरेखा नहीं देखी है और हमें इस बात की बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है कि जिन न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध मत दिया गया है, उनके निर्णय में क्या कहा गया है। हमारा विशेष ध्यान निर्णय के निम्नलिखित उद्धरणों की ओर दिलाया गया था;

''अनुच्छेद 15(4) में जो तथ्य ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि इसमें जातियों की चर्चा नहीं की गयी है बल्कि केवल वर्गों की हीं चर्चा की गई है। यदि संविधान के निर्माता सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की इकाइयों के रूप में जातियों को भी लेना चाहते तो उन्होंने ऐसा कहा होता जैसे कि उन्होंने अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के संबंध में कहा है।''

बहुमत के निर्णय के आधार पर जो तर्क प्रस्तुत किया गया, वह यह था कि उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार के अनुसार यह कहा गया है कि जातियों के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। हम इस रूप में इस निर्णय को समझने में असमर्थ हैं। उक्त निर्णय में ए.आई.आर. 1963 एच.सी. 649 के कुछ अंशों का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि:

उक्त प्रेक्षणों में दो सिद्धांन्त मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं, अर्थात् (1) कुछ नागरिकों के समूह की जाति उनका सामाजिक पिछड़ापन निश्चित करने के लिए एक संगत परिस्थिति हो सकती है और (2) यद्यपि नागरिकों के किसी वर्ग के सामाजिक पिछड़ेपन के अवधारण के लिए यह एक संगत कारण हो सकता है, किंतु इस संबंध में ''यह एकमात्र या प्रमुख मापदण्ड नहीं हो सकता,'' और

''दूसरे शब्दों में, संबंधित प्राधिकारी व्यक्तियों के किसी समूह के पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति को भी ध्यान में रख सकता है, किंतु यदि वह ऐसा नहीं करता, तो यदि वह किसी अन्य संगत मापदण्ड के आधार पर व्यक्तियों के किसी समूह के पिछड़ेपन का निर्धारण कर सकता है, तो

इस संबंध में उसका आदेश अनुचित नहीं माना जायेगा।''

फंक तथा बेगनाल्स मानक शब्दकोष के अनुसार ''जाति'' एक वंशानुगत वर्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिसमें हिन्दु समाज विभाजित है। और हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय में एसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता, जिससे इस निष्कर्ष तक पहुंचने में कोई बाधा उत्पन्न होती हो कि यदि कोई सम्पूर्ण जाति या उसका अधिकांश भाग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उस जाति का नाम नागरिकों के ऐसे वर्ग का प्रतीक या प्रर्याय होगा (या नहीं होगा) जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए है और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (4) की परिधि में आता है।

उपर जो कुछ कहा गया है, उसको देखते हुए हमें आर. जैकब मैथ्यू बनाम केरल राज्य, 1963 के एल.टी. 783 (ए.आई.आर. 1954 केरल 39) के मामले में अपीलाधीन निर्णय को, जहां तक इसमें एहवाज, मुसलमानों और लेटिन कैथोलिकों, जिनमें ऐंग्लो इंडियन भी शामिल हैं के पक्ष में किए गए आरक्षण को रद्द किया गया है, हमें अवश्य उलट देना चाहिए और हम उसे उलटते है।

धन कर अधिकारी बनाम चुम्पन नम्बूदरीपाद, सिविल अपील सं. 1963 की 262 से 266 (एस.सी.) के मामले में उच्चतम न्यायालय को इस बात पर विचार करना पड़ा कि धन कर अधिनियम 1957 में हिन्दु अविभाजित परिवारों से संबंधित व्यवस्था से संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत विधि के समक्ष समता का उल्लंघन तो नहीं होता है उच्चतम न्यायालय का यह कहना था कि:

''हम इस बात का उल्लेख करना चाहेंगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय का यह विचार है कि यह सिद्ध करना राज्य का काम है कि अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। यह सही नहीं है क्योंकि इस बात को प्रमाणित करने के लिए तथ्य प्रस्तुत करना तो उसी पक्ष का काम होगा, जो यह आरोप लेकर सामने आता है कि विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से उसे वंचित रखा जा रहा है।''

इस दृष्टिकोण में प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व प्रथम प्रत्यर्थी पर होगा, और हमारे लिए जो बताना जरूरी है, वह यह है कि उसने यह सिद्ध नहीं किया है कि एहवाज, मुसलान और लेटिन कैथोलिक, जिनमें एंग्लो इंडियन भी शामिल हैं, संविधान के अनुच्छेद 15(4) द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण के हकदार नहीं है।

तथापि हम इस बात की ओर ध्यान अवश्य दिलाना चाहेंगे कि अद्यतन आंकड़ों का अभाव अत्यंत चिंतनीय विषय रहा है। यह कहना असंभव है कि हमारे निष्कर्ष पर किसी भी रूप में कुछ सीमा तक राज्य में जीवन तथा कार्य के हमारे अपने अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। किंतु कोई स्थायी निष्कर्ष ऐसे आंकड़ो पर आधारित नहीं होना चाहिए, जो पूर्णतया अद्यतन नहीं है या ऐसे न्यायिक अनुभव पर आधारित नहीं होना चाहिए, जिसका ऐसे आंकड़ों से खण्डन हो जाता हो या जिसमें ऐसे आंकड़ों से परिवर्तन हो जाता हो। हमारा यह विचार है कि यह जरूरी है कि राज्य उन मामलों की तत्काल तथ्यान्वेषी जांच कराए जो संगत है, और उस जांच के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त आदेश तैयार करे। हम राज्य को ऐसा करने के आदेश देते हैं।

निर्णयः

(1) यदि किसी जाति का संपूर्ण या अधिकांश भाग सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ हो तो उस जाति को सामाजिक और शैक्षिक रूपसे पिछड़े वर्ग के बराबर माना जा सकता है। तदनुसार एहवाज, लेटिन, कैथोलिक, मुसलमान और पिछड़े हुए इसाई पिछड़े वर्ग में आते हैं।